रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 18, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, मथुरा

25 जून, 2022 ई0

तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण लाइसेंस उपविधि, 2021

सं0 321/न0स्वा0अधि0का0/न0नि0म0वृ-मथुरा/2022-23—उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1080/नौ-9-21-121ज/20 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2021 के अनुपालन में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खंण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खंण्ड (20), (41) और (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेंन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि, 2021 तैयार की गयी है जो मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25 जून, 2021 प्रस्ताव संख्या 12 एवं मा0 सदन अधिवेशन दिनांक 14 जुलाई, 2021 के विशेष प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा स्वीकृति की गयी है।

उक्त उपविधि के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु तीन समाचार-पत्रों दैनिक "अमर उजाला", "दैनिक जागरण", एवं "राजपथ" में दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित कराया गया तदोपरांन्त निर्धारित 30 दिन की अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव नगर निगम मथुरा वृन्दावन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

तदोपरान्त उक्त उपविधि को कार्यकारिणी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित किया गया, तथा मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम मथुरा वृन्दावन के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2–तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है नगर निगम मथुरा वृन्दावन से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थाई हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकान हो सकती है।

3–वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 500.00, (रु0 पॉच सौ) स्थाई दुकानों हेतु रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) थोक स्थाई दुकानदारों के लिए रु0 5,000.00 (रु0 पॉच हजार) होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विकेता के लिए रु0 5,000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4–तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विकेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जाएगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिर्वाय होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित होगी।

5–नियम एवं शर्तें–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकरण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

(5) किन्ही भी परिस्थितियों में केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पादक की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा निलंम्बन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रकिया पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होंगी,

जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6–पंजीकरण प्रक्रिया–

(1) नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरुप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे, जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/ अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम मथुरा वृन्दावन के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरांन्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संन्दर्भ में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8–नामित अधिकारी–

नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियंन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रुप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9–वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि–

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम मथुरा के माननीय सदन में अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
मथुरा वृन्दावन, मथुरा।